क्रम संख्या–98

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 अक्टूबर, 2023 ई0

आश्विन 25, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 372 / XXXVI(3) / 2023 / 45(1) / 2023

देहरादून, 17 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023' पर दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 25, वर्ष– 2023 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2023)

वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 5 वर्ष 2005) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

धारा 2 का संशोधन 2. वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा 2 में,–

(एक) खण्ड (ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

"(ख) अनुमोदित संस्था ' का तात्पर्य विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी एवं विधि शिक्षा की संस्था से है।"

(दो) खण्ड (ञ) के पश्चात नया खण्ड (ञ ञ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात्:–

"(ञ ञ) विधि शिक्षा ' का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है, जिसे केन्द्र सरकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य नियामक परिषद् के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित करें।"

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

कारण और उददेश्य

"वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" में विधि शिक्षा के संचालन हेतु वीर माधों सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति करता है।

सुबोध उनियाल
मंत्री।

No. 372/XXXVI(3)/2023/45(1)/2023
Dated Dehradun, October 17, 2023

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023' (Act No. 25 of 2023).**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 12th October, 2023.

The Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023

(Uttarakhand Act No. 25 of Year, 2023)

An

Act

Further to amend in the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005 (Uttarakhand Act No. 5 of Year 2005)

Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Seventy-Fourth year of the Republic of India as follows-

Short title and commencement	1.	(1)	This Act may be called the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University (Amendment) Act, 2023.
		(2)	It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
Amendment of Section 2	2.		In Section 2 of the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005,-
		i	Clause (b) shall be substituted as follows, namely:- (b) "Approved Institution" means an institution of Technical and Legal Education approved by the University/State Government.
		ii	After clause (j) a new clause (j j) shall be inserted as follows, namely:- (j j) "Legal Education" means such education, which the Central Government 'may in consultation with the Bar Council of India, University Grants Commission and any other regulatory council related to professional education, by notification in the Gazette, declare;"

By Order,

SHAHANSHAH MUHAMMAD DILBER DANISH,
Secretary.

Statement of objects and reasons

For conducting legal education in the Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University, amendment in Veer Madho Singh Bhandari Uttarakhand Technical University Act, 2005 is necessary.

2- Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Subodh Uniyal
Minister

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 32 विधायी / 446–2023–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)